प्रकाश् न हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

द्वितीय अपील संख्या 73/2002

आदेश हेतु रखने का दिनांक 08.01.2019

आदेश दिनांक 11.01.2019)

चिंताराम पांडे (मृत) एलआर के माध्यम से- राजेश पांडे, पुत्र स्वर्गीय

चिंताराम पांडे, उम्र 31 वर्ष, निवासी काली मंदिर के पास, बिरगांव,

तहसील व जिला रायपुर (छ०ग०)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

. . . . . विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से... अपीलकर्ता;

बनाम

1. कांति बाई, पत्नी रामस्नेही शर्मा, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी घासीदास नगर फॉवरवुड स्टॉल के पास, नदंनी रोड़, जामुल, पो०आ० भिलाई जिला-दुर्ग (छ०ग०)

2. श्रीमती सरस्वती बाई पत्नी झाबुलाल तिवारी, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी जैन मंदिर के पास, बनिया पारा जिला-दुर्ग (छ०ग०)

3. श्रीमती कमला बाई पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद चौबे, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी देवागंन आरामील के सामने, शिलातापारा तह० व पो०आ० सिमगा, जिला-रायपुर (छ०ग०)

4. सनत कुमार पिता गोकुल प्रसाद, कृषक उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम किरीटपुर तहसील बेरला, जिला-दुर्ग (छ०ग०)

5. रामाधीन पिता श्री जगतराम साहू, कृषक उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम किरीटपुर तहसील बेरला, जिला-दुर्ग (छ०ग०)

6. तखथराम पिता हीराराम, कृषक उम्र लगभग 14 वर्ष, निवासी गडरिया नाबालिक अपने अभिभावक पिता हीराराम के माध्यम से पिता बोधी गडरिया कृषक, निवासी ग्राम किरीटपुर तहसील बेरला, जिला-दुर्ग (छ०ग०)

7. बंशीलाल पिता धरराम सिंह साहू, कृषक उम्र लगभग .....वर्ष, निवासी ग्राम किरीटपुर तहसील बेरला, जिला-दुर्ग (छ०ग०)

8. संजय कुमार, उम्र लगभग 15 वर्ष,

9. किरडे राम, उम्र लगभग 13 वर्ष,

क्रमांक 8 और 9 नाबालिंग है, जिनका प्रतिनित्व उनके प्राकृतिक संरक्षक पिता लालू राम, पिता बोधी गडरिया, निवासी ग्राम किरीटपुर, तहसील बेरला, जिला-दुर्ग (छ०ग०)

10. बिस नारायण पिता राधे यादव कृषक, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम किरीटपुर, तहसील बेरला, जिला-दुर्ग (छ०ग०)

11. दीनबंधु, उम्र लगभग 31 वर्ष,

12. चिंताराम, उम्र लगभग 25 वर्ष,

दोनों सम्मान, क्रमांक 11 एवं 12 पुत्र ढेलूराम, कृषक, निवासी ग्राम किरीटपुर, तहसील बेरला, जिला-दुर्ग (छ०ग०)

13. मोहित, उम्र लगभग 24 वर्ष,

14. बेनूराम, उम्र लगभग 20 वर्ष,

दोनों निवासी क्रं० 13 एवं 14 पुत्र छबिराम साहू, निवासी ग्राम किरीटपुर, तहसील बेरला, जिला-दुर्ग (छ०ग०)

15. रामलाल पिता सुकालू साहू, कृषक, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी ग्राम किरीटपुर, तहसील बेरला, जिला-दुर्ग (छ०ग०)

16. सरजू प्रसाद, उम्र लगभग 30 वर्ष,

17. सरजू, उम्र लगभग 24 वर्ष,

दोनों निवासी क्रं० 16 एवं 17 पुत्र भागबलि निषाद, निवासी ग्राम किरीटपुर, तहसील बेरला, जिला-दुर्ग (छ०ग०)

18. राज्य छ०ग० जिला कलेक्टर, जिला-दुर्ग (छ०ग०)

.....प्रतिवादीगण।

अपीलकर्ता के लियेः श्री शिव कुमार गुहा, अधिवक्ता की ओर से

श्री रजनीश सिंह बघेल, अधिवक्ता

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उत्तरवादी क्रं० 1 से 3 के लिएः-

श्री शातंनु अवस्थी, अधिवक्ता

उत्तरवादी क्रं० 4 से 17 के लिएः-

श्री अभिजीत मिश्रा, अधिवक्ता

उत्तरवादी क्रं० 18 शासन के लिएः-

श्री राहुल ताम्रकर, शासकीय अभिभाषक

द्वितीय अपील संख्या 73/2002 11 जनवरी 2019 को निर्णय लिया गया।

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल

सीएवी निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. इस वादी की दूसरी अपील में सम्मिलित, तैयार किए गए और उत्तर दिए जाने वाले विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न निम्नानुसार हैं:—

"(1) क्या पंजीकृत बिक्री विलेख दिनांक 14-6-1993 को शून्य घोषित करने की राहत प्राप्त किए बिना वाद स्वीकार्य नहीं था?

(2) क्या घोषणा और कब्जे के लिए मुकदमे में भूमि के किसी भाग के लिए कोई राहत अनुमेय नहीं थी?

(सुविधा के लिए, पक्षों को विचारण न्यायालय में दर्शाई गई उनकी स्थिति के अनुसार संदर्भित किया जाएगा।)

02. वादी/अपीलकर्ता ने प्रतिवादियों/प्रतिवादियों के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया कि वादी के पिता स्वर्गीय गया प्रसाद पांडे, जिनकी मृत्यु वर्ष 1954 में हुई थी, वादपत्र के साथ संलग्न अनुसूची ए(1) और ए(2) में उल्लिखित भूमि के स्वामी थे, जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 6.201 हेक्टेयर और 5.91 हेक्टेयर था। आगे यह भी कहा गया है कि वादी की माता की वर्ष 1985 में हत्या कर दी गई थी और अनुसूची बी में उल्लिखित संपत्तियां वादी की बहनों - प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 4 से 17 को 14-6-1993 को हस्तांतरित कर दी गई थीं। इस प्रकार, वादग्रस्त संपत्तियां पैतृक संपत्तियां होने के कारण, वादी का इन संपत्तियों पर जन्मसिद्ध अधिकार है और वह वादग्रस्त संपत्तियों में आधे हिस्से का हकदार है, क्योंकि उसके पिता के जीवनकाल में कोई विभाजन नहीं हुआ है, जिसका प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 ने जवाबदावा आपत्ति दर्ज की।

03. रिकॉर्ड पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की विशलेषण करने के बाद, विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वादी का वादग्रस्त संपत्ति में हिस्सा है और वह प्रतिवादी क्रमांक 1 से 17 तक से घोषणा और कब्जे के लिए हकदार है।

04. प्रतिवादी क्रं. 1 से 3 द्वारा अपील प्रस्तुत किए जाने पर, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के इस निष्कर्ष से काफी हद तक सहमति व्यक्त की कि वादी पूरी वादग्रस्त संपत्ति में ¾ वें हिस्से का हकदार है,लेकिन आगे यह माना कि वादी ने विभाजन की मांग नहीं की और विभाजन की मांग किए बिना, स्वामित्व की घोषणा के लिए डिक्री नहीं दी जा सकती और यह भी माना कि प्रतिवादी क्रं. 1 से 3 ने प्रतिवादी क्रं. 4 से 47 के पक्ष में 14-6-1993 को पहले ही बिक्री विलेख निष्पादित कर दिया था और वादी ने यह प्रार्थना नहीं की है कि 14-6-1993 की बिक्री विलेख उस पर बाध्यकारी नहीं है। दोनों राहतों के अभाव में, स्वामित्व की घोषणा के लिए वाद जिसमें यह घोषित किया गया है कि वादी वादग्रस्त संपत्ति में हिस्से का हकदार है, स्वीकृत नहीं किया जा सकता था जिसके विरुद्ध वादी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है जिसमें कानून के पर्याप्त प्रश्न तैयार किए गए हैं जिन्हें इस निर्णय के आरंभिक कंडिका में निर्धारित किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

05. वादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री शिव कुमार गुहा ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी क्रं. 1 से 3 ने विचारण न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई आपत्ति नहीं की और यदि आपत्ति की जा सकती थी तो वादी अपने वादपत्र में संशोधन कर सकता था और इस प्रकार, आपत्ति को उपलब्ध प्रथम अवसर पर लिया जाना चाहिए था और प्रतिवादी क्रं. 1 से 3 द्वारा आपत्ति लेने में विफलता के कारण, वादी को वादपत्र में सुधार करने के अवसर से वंचित किया गया है, यदि कोई हो, और इसलिए प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय और डिक्री की योग्यता के आधार पर पुष्टि करने के बाद केवल इस तकनीकी आधार पर वाद को खारिज करना पूरी तरह से अनुचित है।

06. दूसरी ओर, प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री शांतनु अवस्थी, तथा प्रतिवादी क्रमांक 4 से 17 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अभिजीत मिश्रा ने विवादित निर्णय एवं डिक्री का समर्थन किया।

07. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा उनके द्वारा ऊपर दिए गए प्रतिद्वन्द्वी निवेदनों पर भी विचार किया है तथा अभिलेख का अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है।

08. मूल वादी ने स्वामित्व की घोषणा के लिए एक मुकदमा लाया कि वह, गया प्रसाद पांडे का पुत्र होने के नाते, अपनी बहनों - प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 के साथ मुकदमे की संपत्ति में 3/4 हिस्से का हकदार है और उसने उक्त हिस्से पर कब्जा भी मांगा है, क्योंकि प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 ने अनुसूची बी में उल्लिखित संपत्तियों को प्रतिवादी नंबर 4 से 17 को 14-6-1993 को स्थानांतरित कर दिया है, लेकिन वादी ने यह मांग नहीं की कि 14-6-1993 की बिक्री विलेख को शून्य घोषित किया जाए, क्योंकि प्रतिवादी क्रं. 1 से 3 पूरी संपत्ति को अलग करने के हकदार नहीं हैं। विचारण न्यायालय ने स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया कि वादी वादग्रस्त संपत्ति में हिस्सा पाने का हकदार है और उस सीमा तक स्वामित्व की घोषणा भी प्रदान की तथा कब्जे की पुनः प्राप्ति

का निर्देश भी दिया और प्रतिवादी क्रं. 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत अपील में उस निष्कर्ष की प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर पुष्टि की गई है, किन्तु उसके बाद, यद्यपि प्रतिवादी क्रं. 1 से 3 द्वारा कोई दलील नहीं दी गई कि विभाजन और घोषणा के अनुतोष का दावा न करने के कारण वाद पोषणीय नहीं है और इसी प्रकार, चूंकि दिनांक 14-6-1993 के विक्रय विलेख को शून्य घोषित करने की मांग नहीं की गई है, इसलिए वाद पोषणीय नहीं है, फिर भी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने कार्यवाही जारी रखी और माना कि विभाजन के लिए वाद दायर किया जाना चाहिए था और दिनांक 14-6-1993 के विक्रय विलेख के बारे में, यद्यपि कहा गया है कि वह वादी पर बाध्यकारी नहीं है, फिर भी इसे बाध्यकारी न बनाने की मांग की जा सकती थी और इस प्रकार केवल इसी आधार पर डिक्री को अपास्त किया जा सकता था।

09. प्रथम अपीलीय न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि वादी ने वादपत्र में दलील देकर दावा किया है कि प्रतिवादी क्रं. 1 से 3 द्वारा प्रतिवादी क्रं. 4 से 17 के पक्ष में निष्पादित बिक्री विलेख उस पर बाध्यकारी नहीं है, लेकिन उसे यह राहत मांगनी चाहिए थी कि बिक्री विलेख उस पर बाध्यकारी नहीं हैं। वादी प्रतिवादी क्रं. 1 से 3 द्वारा प्रतिवादी क्रं. 4 से 17 के पक्ष में कथित रूप से निष्पादित दिनांक 14-6-1993 के बिक्री विलेखों का पक्षकार नहीं है, इसलिए, वह बिक्री विलेखों को उस पर बाध्यकारी नहीं घोषित करने का दावा कर सकता था, लेकिन प्रतिवादियों द्वारा न तो विचारण न्यायालय के समक्ष और न ही प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील में ऐसी कोई आपत्ति की गई और विचारण न्यायालय ने ऐसी घोषणा के बिना ही वाद का फैसला सुनाया। लेकिन प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के फैसले को इस आधार पर उलट दिया कि दिनांक 14-6-1993 के बिक्री विलेख के बाध्यकारी नहीं होने की ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। प्रतिवादियों ने इस तरह की कोई आपत्ति पहले से उपलब्ध अवसर पर विचारण न्यायालय के समक्ष नहीं उठाई, उस स्थिति में, वादी अपने वाद में संशोधन कर सकता था कि दिनांक 14-6-1993 का विक्रय विलेख उस पर बाध्यकारी नहीं है। इसलिए, प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा केवल इस आधार पर डिक्री को पलटना सही नहीं है कि 14-6-1993 का विक्रय विलेख बाध्यकारी नहीं है, इस आशय की घोषणा अपील के ज्ञापन में आपत्ति और आधारों के अभाव में नहीं मांगी गई है, क्योंकि वादी को वाद के किसी भी पक्ष द्वारा आश्चर्यचकित नहीं किया जा सकता है और वह भी अपीलीय चरण में और उसे अपीलीय चरण में उन आधारों को पूरा करने का अवसर दिए बिना, विशेष रूप से जब वाद में स्पष्ट रूप से दलील दी गई है कि दिनांक 14-6-1993 का विक्रय विलेख उस पर बाध्यकारी नहीं है। इसके मद्देनजर, प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उस सीमा तक दर्ज किए गए निष्कर्ष को एतद् द्वारा रद्द किया जाता है।

10. अब, विधि के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं, वादी द्वारा केवल स्वामित्व और कब्जे की घोषणा के लिए वाद किया गया था, जिसे विचारण न्यायालय ने हिस्से की सीमा तक मंजूर कर लिया है और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर पुष्टि की है, लेकिन फिर से प्रथम अपीलीय न्यायालय ने माना है कि वादी द्वारा विभाजन की राहत मांगी जा सकती थी और उसके बिना, स्वामित्व का अधिकार नहीं दिया जा सकता। यह दलील कि विभाजन की राहत मांगी जानी आवश्यक थी, विचारण न्यायालय के समक्ष या प्रतिवादियों द्वारा प्रथम

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील के ज्ञापन में नहीं उठाई गई थी और वादी को प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष भी उस आधार को पूरा करने के अवसर से वंचित किया गया है, जैसा कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा माना गया है।

11. व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 7 में निम्नानुसार कहा गया है:

> " 7. राहत का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। - प्रत्येक वाद में उस राहत का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए जिसका वादी या तो सीधे या वैकल्पिक रूप से दावा करता है, तथा सामान्य अन्य राहत की मांग करना आवश्यक नहीं होगा जिसे न्यायालय हमेशा उसी सीमा तक दे सकता है जिस सीमा तक वह मांगी गई होती। और यही नियम प्रतिवादी द्वारा अपने लिखित कथन में दावा किए गए किसी भी राहत पर लागू होगा"

12. उपर्युक्त प्रावधान का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर यह पता चलेगा कि व्य०प्र०सं० के आदेश 7 नियम 7 के प्रावधान इतने व्यापक रूप से लिखे गए हैं कि वे न्यायालय को अचल संपत्ति के स्वामित्व के अधिग्रहण तथा उसके कब्जे के लिए दायर मुकदमे में विभाजन के लिए डिक्री पारित करने में सक्षम बनाते हैं, जहां यह पता चलता है कि वादी वाद की संपत्ति में उसके द्वारा दावा किए गए सभी हितों का हकदार नहीं है। ऐसी स्थिति में वाद में प्राप्त पक्षों के हिस्से के अनुसार वाद की संपत्ति का विभाजन करने का निर्देश देकर पक्षकारों को राहत देने में कुछ भी असामान्य नहीं है। सामान्य नियम यह है कि यह दलील जिनमें राहत की मांग नहीं गई उन्हें स्वीकार किया जाना चाहिये, यह अपवाद के बिना नहीं है। जहां सभी पक्षों के स्वामित्व को शामिल करने वाले पर्याप्त मामले मुद्दों में शामिल हैं तथा उन्हें पूरी तरह से साक्ष्य में रखा गया है, वहां मामला उपर्युक्त नियम के अंतर्गत नहीं आता है। न्यायालय को दी जाने वाली राहत की प्रकृति का निर्धारण करने में दावे के सार को देखना होगा। बेशक, न्यायालय राहत के लिए वाद के आधार पर निर्णय देते समय इस बात पर विचार करेगा कि वादी को वाद की संपत्ति में उसके द्वारा दावा किए गए सभी हितों का हकदार नहीं माना जाएगा। यह ध्यान रखें कि यह जो राहत प्रदान करता है वह वादी के दावे से असंगत न हो और उसी वाद हेतुक पर आधारित हो जिस पर मुकदमे में राहत का दावा किया गया है, कि यह वादी के जीवन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डाले या उसे परेशानी न पहुंचाए, कि यह मुकदमे में दावा किए गए दावे से अधिक न हो, भले ही वादी वास्तव में इसका हकदार हो, जब तक कि वह वादपत्र में संशोधन न कर दे; कि वादपत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि को समय से उसका निपटान नहीं किया गया हो। (देखें *श्रीमती नीलकमल* बनाम *श्रीमती शिवावा* 1.)

13. इसी प्रकार की परिस्थितियों में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने *एसएमके अफतायमोव* 1 (सुप्रा) में निम्नानुसार निर्णय दिया:—

> "इसमें कोई संदेह नहीं है कि वादी ने अनन्य अधिकार की मांग की है और वह अपना अनन्य अधिकार साबित नहीं कर पाया है; लेकिन वह यह साबित करने में सक्षम है कि वह मुकदमे की संपत्तियों में आधे हिस्से का हकदार है। जब कोई पक्ष मुकदमे की संपत्ति पर अनन्य अधिकार का दावा करता है और यह साबित करने के लिए उत्तरदायी होता है कि वह मुकदमे की संपत्ति के आधे हिस्से का हकदार है, तो न्यायालय द्वारा उसके आधे हिस्से

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

के विभाजन और कब्जे के लिए डिक्री पारित करना असामान्य नहीं होगा। वास्तव में ऐसी राहत वाद में मांगी गई राहत से निकलती है कि वह पूरी संपत्ति का अनन्य मालिक है। जब एक बड़ी राहत का दावा किया जाता है और जो स्थापित होता है वह मुकदमे में दावा की गई पूरी राहत नहीं है, बल्कि उसका एक हिस्सा है, क्योंकि पूरे में एक हिस्सा शामिल होता है, बड़ी राहत में छोटी राहत भी शामिल होती है, और यह भी उसी कार्रवाई के कारण से उत्पन्न होती है। इसलिए वर्तमान मामले में, न्यायालय को विभाजन के लिए डिक्री पारित करने से कोई नहीं रोक सकता, ताकि विभाजन के लिए एक और मुकदमा न हो और पक्ष को उसके द्वारा स्थापित अधिकार के अनुरूप राहत दी जा सके।"

14. *इंदिरा बाई* बनाम *प्रो. श्यामसुंदर* 2 के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा भी इसी तरह का प्रस्ताव रखा गया है , जिसमें यह माना गया है कि व्य०प्र०सं० के आदेश 7 नियम 7 के तहत, विभाजन के लिए एक मुकदमे में पक्षों के शेयरों का निर्धारण न्यायालय द्वारा प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार किया जाना चाहिए। न्यायालय को मुकदमा दायर करने के बाद होने वाली घटनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए और ऐसी घटनाओं के अनुसार शेयरों का निर्धारण भी करना चाहिए, यदि इन घटनाओं का मुकदमे के पक्षों के शेयरों की मात्रा पर असर पड़ता है। मुकदमे में मांगी गई राहतों को तब तक ढाला जा सकता है जब तक कि ऐसी राहत एक ही कार्रवाई के कारण से निकलती है, भले ही ऐसी राहतों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना की गई हो या नहीं। कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त मामलों (सुप्रा) में निर्धारित विधि के सिद्धांत के प्रकाश में मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, यह स्पष्ट है कि वादी ने स्वामित्व की घोषणा और निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया है, जिसमें वादी के विभाजन और अलग कब्जे के हिस्से की राहत हमेशा विशिष्ट राहत के अभाव में भी दी जा सकती है, खासकर जब प्रतिवादियों द्वारा जल्द से जल्द उपलब्ध अवसर पर इस पर आपत्ति नहीं की गई हो और जब इसने व्य०प्र०सं० के आदेश 7 नियम 7 का आह्वान करते हुए प्रतिवादियों को कोई पूर्वाग्रह नहीं पहुंचाया हो। इसी तरह, लिखित बयान में या प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील के ज्ञापन में कोई दलील नहीं है कि विभाजन की राहत के अभाव में, स्वामित्व और कब्जे की घोषणा की डिक्री नहीं दी जा सकती है, क्योंकि वादी को अपीलीय चरण में दूसरे पक्ष द्वारा आश्चर्यचकित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, उक्त निर्णय के कंडिका 30 में निहित प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय और डिक्री को अलग रखा जाता है। वादी का मुकदमा, विचारण न्यायालय द्वारा डिक्री के अनुसार स्वीकार किया जाता है।

15. विधि के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर तदनुसार दिया गया है तथा अपील को ऊपर दर्शाई गई सीमा तक स्वीकार किया जाता है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

16. तदनुसार डिक्री तैयार की जाएगी।

17. **अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।**

सही/-

(संजय के.अग्रवाल)

न्यायाधीश

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur